

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :: जयसिंह (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :: 65 / 2020

सरकार

बनाम

कालुराम, प्रमोद, मुकेश पि. लालचन्द,
जाति-नायक, निवासी- दूदवा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 11.01.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान कालुराम, प्रमोद, मुकेश पि. लालचन्द, जाति-नायक, निवासी- दूदवा द्वारा रोही मौजा दूदवा की राजकीय भूमि ख.नं. 24 कुल रकबा 9.73 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है० पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गु. तावान 15 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के वृत्त सं. 33 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 151 कायम किए

राजस्व लेखाकार

(जयसिंह)

तहसीलदार, सूरजगढ़